जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, बच्चे, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम), औरंगाबाद (बिहार)।

उपस्थित– विश्व विभूति गुप्ता

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, बच्चे, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम), औरंगाबाद (बिहार)। सत्रवादसं0–287/2010 / 71 2018 ओबरा थाना कांड सं0–15/2010 दिनांक–10.03.2026	
अभियोजन	राज्य द्वारा बच्चन पासवान.......................................सूचक।
राज्य/सूचक की ओर से	श्री राम नरेश प्रसाद, विद्वान अपर लोक अभियोजन पदाधिकारी।
अभियुक्तगण	1. मनोज राम पिता रामप्रवेश राम, 2. रामप्रवेश राम पिता स्व0 शिवनारायण राम, 3. विगनी देवी पति रामप्रवेश राम, सभी निवासी ग्राम तेजपुरा, थाना ओबरा, जिला औरंगाबाद (बिहार)।
बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता	श्री धनंजय कुमार यादव

अपराध की तिथि	22.12.2010
प्राथमिकी की तिथि	25.01.2010
अंतिम प्रपत्र दाखिल करने की तिथि	12.05.2010
आरोप गठन की तिथि	24.11.2010
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	21.12.2010
तिथि जिसके द्वारा निर्णय हेतु रखा गया	10.03.2026
निर्णय की तिथि	10.03.2026
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	नहीं

अभियुक्तगण विवरणी

क्रम	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत प्राप्ति की तिथि	आरोप गठन की धारा	दोष मुक्ति / दोष सिद्धि	सजा की अवधि	विचारण के दौरान कारा में बिताई गयी अवधि का धारा 428 दं0प्र0सं0 के तहत समायोजन
1	मनोज राम	27.03.2010 11.01.2020	09.04.2010 22.01.2020	अभियुक्त रामप्रवेश राम एवं विगनी देवी के विरूद्ध धारा 366A भा0द0सं0 जबकि मनोज राम के विरूद्ध धारा 366A, 376 भा0द0सं0	दोष सिद्धि धारा 497 भा0दं0सं0	पूर्व में कारा में बिताई गई अवधि एवं मो0–10,000/– (दस हजार) रूपये के जुर्माने की सजा	21 दिन (इक्कीस दिन) अभियुक्त मनोज राम
2	रामप्रवेश राम	09.04.2010	09.04.2010		दोष मुक्त	दोष मुक्त	–––––
3	विगनी देवी	09.04.2010	09.04.2010				

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय के गवाहों की सूची

क. अभियोजन गवाह,

क्रम	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
1	अजय पासवान	अन्य गवाह
2	बचन पासवान उर्फ राम बचन पासवान	अन्य गवाह
3	नथुनी राम	अन्य गवाह
4	पुष्पा देवी	अन्य गवाह
5	लक्ष्मीनी देवी	चक्षुदर्शी गवाह

ख. बचाव पक्ष के गवाह (यदि कोई हो) शून्य

क्रम	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
1	xx	xx

ग. न्यायालय गवाह (यदि कोई हो) शून्य

क्रम	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
1	xx	xx

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय के प्रदर्श की सूची

क. अभियोजन प्रदर्श,

क्रम	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श–1	लिखित आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर
2	प्रदर्श–2	लक्ष्मीनी देवी का धारा 164 दं0प्र0सं0 के तहत बयान

ख. बचाव पक्ष प्रदर्श, शून्य

क्रम	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	xx	xx

ग. न्यायालय प्रदर्श, शून्य

क्रम	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	xx	xx

घ. वस्तु प्रदर्श

क्रम	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	xx	xx

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद में उपरोक्त नामांकित अभियुक्त रामप्रवेश राम एवं विगनी देवी के विरूद्ध धारा 366A भा0द0सं0 जबकि मनोज राम के विरूद्ध धारा 366A, 376 भा0द0सं0 के अंतर्गत दिनांक–24.11.2010 को आरोप का निर्धारण कर विचारण किया गया।

अभियोजन कथानक

2. प्रस्तुत वाद में संक्षिप्त में अभियोजन/सूचक का मामला यह है कि दिनांक–22.12.2010 को सूचक बचन पासवान की शादी शुदा पुत्री लक्ष्मीनीया देवी को अभियुक्त मनोज राम ने बहला फुसलाकर ले भागा तथा इसमें उसकी माँ बिगनी देवी एवं पिता रामप्रवेश राम ने मदद किया है।

3. प्रस्तुत वाद में सूचक की ओर से दाखिल आवेदन के आधार पर ओबरा थाना कांड संख्या–15/2010 दिनांक–25.01.2010 दर्ज किया गया। अनुसंधानक द्वारा अनुसंधानोपरांत उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्धधारा 366, 376/34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया है।

4. उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक–11.06.2010 को धारा 366, 376/34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया।

5. प्रस्तुत वाद में अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक–24.11.2010 को अभियुक्त रामप्रवेश राम एवं विगनी देवी के विरूद्ध धारा 366A भा0द0सं0 जबकि मनोज राम के विरूद्ध धारा 366A, 376 भा0द0सं0 के अंतर्गत आरोप का गठन कर, आरोप हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण की मांग की।

6. प्रस्तुत वाद में अभियुक्तगण का बयान दिनांकः–02.02.2026 को धारा 313 दं0प्र0सं0 के तहत लिया गया, जिसमें उन्होने अपने आप को निर्दोष बताया।

7. प्रस्तुत विचारण में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या सूचक/अभियोजन ने अभियुक्त रामप्रवेश राम एवं विगनी देवी के विरूद्ध धारा 366A भा0द0सं0 जबकि मनोज राम के विरूद्ध धारा 366A, 376 भा0द0सं0 के अभियोग को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है या नहीं ?

अभियोजन साक्ष्य

8. प्रस्तुत वाद में अभियोजन की ओर से सात साक्षी नामतः अभियोजन साक्षी संख्या–1 अजय पासवान, अभियोजन साक्षी संख्या–2 बचन पासवान उर्फ राम बचन पासवान, अभियोजन साक्षी संख्या–3 नथुनी राम, अभियोजन साक्षी संख्या–4 पुष्पा देवी एवं अभियोजन साक्षी संख्या–5 लक्ष्मीनी देवी को प्रस्तुत किया है।

अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में लिखित आवेदन पर लक्ष्मीनी देवी का हस्ताक्षर को प्रदर्श–1 एवं लक्ष्मीनी देवी का धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत बयान को प्रदर्श–2 अंकित किया गया है।

बचाव पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

9. **अभियोजन साक्षी संख्या–1 अजय पासवान** ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना सुबह की है। समय नहीं बता सकता हूँ। काम करके वापस आया तो पता चला कि मनोज राम एवं लक्ष्मीनीया दोनो फरार हो गये है।

प्रतिपरीक्षण के कंडिका–2 में कहा है कि घटना के दिन मैं तेजपरा नहर लक पर था। काम करने गया था। कंडिका–3 में कहा है कि लक्ष्मीनीया से घटना के संबंध में बातचीत नहीं हुई थी।

10. **अभियोजन साक्षी संख्या–2 बचन पासवान उर्फ राम बचन पासवान (सूचक)** ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मैं इस केस का सूचक हूँ। थाना पर लिखित आवेदन दिया था, यही वह लिखित आवेदन है, जिस पर मेरा दस्तख्त है, जिसे पहचानने पर प्रदर्श–1 अंकित किया गया। इस केस की पीड़िता लक्ष्मीनीया देवी मेरी बेटी है। करीब दो साल पहले बसंत पंचमी का त्योहार था, उस दिन मेरे घर में भी पूजा हुआ था। सुबह में मेरी बेटी लक्ष्मीनीया देवी शौच के लिए सोन नदी के तरफ गई लेकिन वह नहीं लौटी तब हमलोग खोजने लगे। बाद में पता चला कि रामप्रवेश का लड़का मनोज राम, उसकी माँ बिगनी देवी और बाप रामप्रवेश राम बहला फुसलाकर लेकर भाग गये। मैं दो दिन तक अपनी बेटी को खोजते रहे लेकिन नहीं मिली तो थाना पर जाकर केस किया। पुलिस ने जिमेनामा बनवाकर मेरी बेटी को मुझे सुपूर्द किया।

प्रतिपरीक्षण के कंडिका–7 में कहा है कि जब मेरी बेटी घटना के दिन शौच करने जा रही थी तो मैं उसको देखा था। उस समय उसके साथ मैं गाँव के महिलाओं को जाते नहीं देखा। कंडिका–9, मैने अपनी बेटी लक्ष्मीनिया की शादी अठारह साल की उम्र में किया लेकिन किस साल किया याद नहीं है। मेरी बेटी घटना के पहले शादी शुदा थी। कंडिका–10, मुदालय मनोज राम की शादी अभी तक नहीं हुई है। कंडिका–13, मैने घटना को अपनी आँख से नहीं देखा है।

11. **अभियोजन साक्षी संख्या–3 नथुनी राम** ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मैं घटना के बारें में कुछ नहीं जानता हूँ। अभियोजन के निवेदन पर इस साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है।

12. **अभियोजन साक्षी संख्या–4 पुष्पा देवी** जो सूचक की पत्नी एवं पीड़िता की माँ है ने अपने मुख्य परीक्षण में घटना का समर्थन किया है तथा कहा है कि सुबह पाँच बजे मेरी बेटी लक्ष्मीनिया शौच के लिए सोन नदी की तरफ गई तथा मनोज राम मेरी बेटी को लेकर भाग गया। मनोज राम की माँ विगनी देवी एवं उसका पिता राम प्रवेश राम भी साथ में गया। मनोज राम मेरी बेटी लक्ष्मीनिया को शादी करने की नियत से लेकर दिल्ली भाग गया और उसके साथ गलत काम किया। मेरी बेटी जो गहना पहनी थी, उसे मनोज राम छीनकर बेच दिया।

प्रतिपरीक्षण के कंडिका–7 में कही है कि मेरी बेटी लक्ष्मीनिया शौच के लिए निकली तो उस समय मैने उस देखी थी। लक्ष्मीनिया के साथ और कोई नहीं गया था। कंडिका–10, विगनी और रामप्रवेश को मैं घटना के दिन सुबह पाँच बजे देखी थी, उस समय से मुझे कोई बातचीत नहीं हुई। कंडिका–14, मेरी बेटी लक्ष्मीनिया घटना के पूर्व से शादी शुदा थी। मैने उसकी शादी आज से कितने साल पहले की थी यह मुझे याद नहीं है। शादी के बाद मेरी बेटी अपने ससुराल गई थी तथा अपने ससुराल में एक महीना रही। उसके बाद मेरी बेटी और दामाद में छूटा–छूटी हो गया।

13. **अभियोजन साक्षी संख्या–5 लक्ष्मीनी देवी** जो आहत/पीड़िता है ने अपने मुख्य परीक्षण में कही है कि मैं मनोज राम के साथ दिल्ली चली गई थी और उसी के साथ दिल्ली में रही थी। जब मैं वापस घर आई थी तब मेरा कोर्ट में बयान हआ था और मैं उस पर हस्ताक्षर की थी। हस्ताक्षर की पहचान करने पर प्रदर्श–P-2/P.W.05 अंकित किया गया। पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था।

प्रतिपरीक्षण के कंडिका–5 में कही है कि घटना के समय मेरी उम्र 18 वर्ष से अधिक थी। कंडिका–6, मैं अपने घर से अकेली निकली थी और डेहरी स्टेशन चली गई थी। वहीं पर मनोज राम से मुलाकात हुई थी। मैं उससे कही थी कि मुझे दिल्ली जाना है, इसलिए आप मेरे साथ दिल्ली चलिए। कंडिका–7, मनोज राम ने मेरे साथ कोई बलात्कार नहीं किया। कंडिका–8, मैं जब दिल्ली से लौटी तब मुझे पुलिस पकड़ ली थी और कोर्ट में बयान करवाई। मैं अपने बयान में भी यही बात कही थी। कंडिका–9, मेरे पिताजी लोगों के कहने सुनने से मनोज राम के विरूद्ध गलत केस कर दिये है।

14. बहस के दौरान बचाव पक्ष ने घटना को पूरी तरह से झूठा बताया एवं कहा कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण हितबद्ध साक्षी है तथा इसके साक्ष्य आपस में काफी विरोधाभाषी है तथा इनमें एकरूपता का काफी अभाव है। अभियोजन साक्षी संख्या–5 जो

स्वयं पीड़िता है के कथन से स्पष्ट है कि पीड़िता वयस्क है और अपनी मर्जी से अभियुक्त मनोज राम के साथ गई थी तथा मनोज राम के पिता एवं माता का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। उक्त मुकदमा मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है। अभियोजन यह भी साबित करने में असफल रहा है कि पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ है। पीड़िता वयस्क है तथा उसने अपनी मर्जी से अभियुक्त मनोज राम के साथ दिल्ली गई थी। अभियोजन अनुसंधानक का भी साक्ष्य कराने में असफल रहा है।

जबकि अभियोजन पक्ष ने अपने बहस के दौरान कहा है कि प्रस्तुत अभियोजन साक्षियों ने घटना को पूरी तरह से समर्थित करते हुए साबित किया है। अभियुक्तगण को कठोर से कठोर दण्ड से दंडित किया जाय ताकि समाज में एक मिशाल पेश हो और कोई अन्य ऐसी अपराध करने से डरे।

<u>मन्तव्य</u>

15. धारा 366A भारतीय दंड संहिता सदोष अवरोध का अपराध कारित करने के लिए दंड का प्रावधान करती है, जिसके अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु की नाबालिग लड़की को अवैध यौन संबंध के लिए बहलाना, फुसलाना या मजबूर करता है जबकि धारा 376 भारतीय दंड संहिता किसी महिला के साथ बलात्कार से संबंधित है।

16. उभय पक्ष का बहस सुना। उपरोक्त मुकदमा में अभियुक्त रामप्रवेश राम एवं विगनी देवी के विरूद्ध धारा 366A भा0द0सं0 जबकि मनोज राम के विरूद्ध धारा 366A, 376 भा0द0सं0 के अंतर्गत आरोप गठन किया गया है परन्तु साक्षियों के साक्ष्य जिसमें सबसे महत्वपूर्ण साक्षी अभियोजन साक्षी संख्या–5 लक्ष्मीनी देवी है जो पीड़िता है के साक्ष्य से यह परिलक्षित होता है कि वह घटना के समय वयस्क थी तथा मनोज राम ने न तो उसके साथ बलात्कार किया और न ही उसे अपहरण किया है बल्कि वह स्वयं मनोज राम को दिल्ली लेकर के गई है तथा उसने यह भी कही है कि उसके पिताजी लोगों के कहने सुनने से मनोज राम के विरूद्ध गलत केस कर दिये है। इस साक्षी के साक्ष्य के उपरांत किसी अन्य साक्षी का साक्ष्य का विश्लेषण की आवश्यकता नहीं रह जाती है। दस्तावेजी साक्ष्य जिसमें प्रदर्श–P-2/P.W.05 जो इसी पीड़िता का न्यायालय के समक्ष दिया गया धारा 164 दं0प्र0सं0 के तहत बयान है, जिसमें की गई कथन भी, न्यायालय के समक्ष दी गई साक्ष्य के अनुरूप एकरूपता है।

17. उपरोक्तानुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 366A, 376 भा0द0सं0 का आरोप ही नहीं बनता है क्योंकि पीड़िता न तो अवयस्क है एवं न ही उसका अपहरण या बलात्कार अभियुक्तगण के द्वारा किया गया है।

18. साक्ष्यों के परिशीलनोपरांत मात्र अभियुक्त मनोज राम के विरूद्ध धारा 497 भा0द0सं0 का आरोप बनता है क्योंकि अभियुक्त मनोज राम को यह मालूम था कि पीड़िता लक्ष्मीनिया देवी किसी दूसरे पुरूष की पत्नी है तथा उस पुरूष की सहमति या मिलीभगत के बिना लक्ष्मीनिया देवी के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया है यानी उसके द्वारा कारित अपराध व्यभिचार की श्रेणी में आता है तथा इस घटना में अभियुक्त मनोज राम के माता विगनी देवी एवं पिता रामप्रवेश राम का कहीं कोई अपराध प्रतीत नहीं होता है। अभियुक्त विगनी देवी एवं रामप्रवेश राम को यह न्यायालय निर्दोष पाती है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियुक्त मनोज राम को धारा 366A, 376 भा0द0सं0 के अंतर्गत दोषी न पाते हुए धारा 497 भा0द0सं0 के अंतर्गत यह न्यायालय दोषी पाती है।

आदेश

19. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्त नामतः 1. मनोज राम को धारा 497 भा0द0सं0 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है जबकि अभियुक्तगण नामतः 2. रामप्रवेश राम एवं 3. विगनी देवी को **पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है।** अभियुक्त मनोज राम को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। उनके प्रतिभू को बंधपत्र के दायित्व से मुक्त किया जाता है। सजा के विन्दु पर उभयपक्ष अपना–अपना तर्क थोड़ी देर बाद प्रस्तुत करें।

लेखापित

(विश्व विभूति गुप्ता),
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष
न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति, बच्चे, स्वापक
औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम),औरंगाबाद (बिहार)।
10.03.2026

सजा के विन्दु पर

पश्चात्

10.03.2026 उभय पक्षों को सजा के विन्दु पर सुना। जहाँ विद्वान विशेष लोक अभियोजक का यह कहना है कि अभियुक्त मनोज राम के द्वारा किया गया अपराध अशोभनीय है। अतः इन्हें कठोर–से–कठोर दण्ड से दंडित किया जाय। वहीं बचावपक्ष का यह कथन है कि अभियुक्तगण की यह प्रथम दोषसिद्धि है। सूचक एवं मुदालय आपस में ग्रामीण है। अभियुक्त का पूर्व से कोई अपराधिक इतिहास नही है। जिस धारा में दोषसिद्धि की गई है

वह तुच्छ प्रकृति की है। अभियुक्त मनोज राम का समाज में आचरण व्यवहार अच्छा है। अतः अभियुक्त मनोज राम को न्यूनतम सजा दिया जाय।

20. मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए तथा अभियुक्त मनोज राम के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई तथ्य मौजूद नहीं है, अभियुक्त अन्य आपराधिक वाद में विचारणीय नही है। अभियुक्त मनोज राम की उम्र तथा तथा उनकी वर्तमान सामाजिक स्थिति तथा अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त मनोज राम को **मो0–10000/–(दस हजार) रूपया जुर्माना की सजा दी जाती है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त मनोज राम को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। ये सजाएँ एक साथ चलेगी। कारा में बिताई गई अवधि नियमानुसार समायोजित की जायेगी। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि आवश्यक प्रविष्टियोंपरांत अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।**

लेखापित

(विश्व विभूति गुप्ता),
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष
न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति, बच्चे, स्वापक
औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम),औरंगाबाद (बिहार)।
10.03.2026

निर्णय आज खुले न्यायालय में लेखापित, शुद्धित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

लेखापित

(विश्व विभूति गुप्ता),
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष
न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति, बच्चे, स्वापक
औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम),औरंगाबाद (बिहार)।
10.03.2026

आदेश की तिथि	10.03.2026
आदेश सुरक्षित रखने की तिथि	नही
अपलोड करने की तिथि	13.03.2026
द्वारा अपलोड किया गया	स्टेनोग्राफर